

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एल-10 /2018/

दिनांक:-

आदेश

निम्नलिखित नर्स-2 (परिवीक्षाधीन) का उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र० स०	नाम कर्मचारी	अवकाश का कारण	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस में	अवकाश का प्रकार
1	लक्ष्मी बैरवा,	चिकित्सा	20.06.17 07.08.17 11.12.17	29.06.17 09.08.17 15.12.17	10 03 05 <hr/> कुल 18	असाधारण अवकाश
2	सारिका शर्मा	चिकित्सा	01.07.17	26.07.17	26	असाधारण अवकाश
3	सीमा शर्मा	चिकित्सा/ पारिवारिक	25.12.17 01.06.17 29.08.17 12.09.17 29.10.17	31.12.17 04.06.17 10.09.17 30.09.17 10.11.17	07 04 13 19 13 <hr/> कुल 56	असाधारण अवकाश
4	स्वीटी गुप्ता	चिकित्सा	16.02.17	08.03.17	21	असाधारण अवकाश

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक **F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1** दिनांक 11.06.2014 के अनुसार एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

-51-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 04-6-2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एल-10 /2018/ 757

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ।
2. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें ।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर